कलेक्टर ने सुनी 162 लोगों की समस्याएं

नवभारत न्यूज
ग्वालियर 28 जुलाई। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हुई जन-सुनवाई में 162 आमजनों की समस्यायें सुनी गई। अपर कलेक्टर श्री कुमार सत्यम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सोजान सिंह रावत व एडीएम श्री सी बी प्रसाद सहित जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने एक-एक कर सभी आवेदकों की समस्यायें सुनीं और उनके आवेदनों के निराकरण की रूपरेखा तय की।

कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई में राजस्व, नगर निगम, बिजली, पुलिस इत्यादि से संबंधित समस्यायें प्राप्त हुईं। जमीन संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश सभी एसडीएम व तहसीलदारों को दिए गए हैं। नगर निगम क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं से संबंधित समस्याओं को तत्परता से निराकृत करने की हिदायत भी नगर निगम के अधिकारियों को दी। जनसुनवाई में मदद की आस में पहुँचे जरूरतमंदों के नि:शुल्क इलाज का इंतजाम भी कराया गया। जन-सुनवाई में कुल 162 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 105 आवेदन दर्ज किए गए। साथ ही शेष 57 आवेदन विभागीय अधिकारियों को समय-सीमा में निराकृत करने के लिये आवश्यक टीप के साथ दिए गए।

विद्युत सुरक्षा निरीक्षालय नए वृत्त कार्यालय स्वीकृत

नवभारत न्यूज
ग्वालियर 28 जुलाई। विद्युत सुरक्षा निरीक्षालय के नए वृत्त कार्यालय को स्वीकृति ग्वालियर-चंबल अंचल के लिए एक ऐतिहासिक एवं जनहितकारी निर्णय है। उक्त जानकारी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने देते हुए कहा कि इससे 8 जिलों के नागरिकों, उद्योगों एवं संस्थानों को विद्युत सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए अब भोपाल नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। साथ ही, ग्वालियर के सर्वांगीण विकास और क्षेत्र की जनभावनाओं को सदैव प्राथमिकता देने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी हृदय से आभार, जिनके सतत प्रयासों से ग्वालियर निरंतर नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है।

महिला सफाई कर्मियों की ड्यूटी सुबह 10 बजे के बाद ही लगे : डॉ. जाटव

ग्वालियर 28 जुलाई। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव ने कहा कि नगर निगम अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में नगर निगम में कार्यरत सभी महिला सफाई कर्मचारी सुबह की पाली की जगह 10 बजे के बाद ही सफाई का कार्य करेंगी। इसके साथ ही सभी का पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार नियमित सफाई कर्मचारी 690, विनियमित 1101 एवं आउटसोर्स 1379 सफाई कर्मचारी कार्य कर रहें। किसी भी स्वास्थ्य कर्मी की अनुकंपा नियुक्ति की फाइल न रोकी जाए। निगम को जितना भी राजस्व मिलता है उसका 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति वार्डों के विकास के लिए खर्च करना है। बैठक में अपर आयुक्त प्रदीप तोमर, मुनीष सिकरवार, कार्यपालन यंत्री सुशील कटारे, श्रीकांत कांटे, शिशिर श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री जल प्रदाय, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वैभव श्रीवास्तवसहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' नुक्कड़ नाटक आयोजित

दिलाई शपथ, 1000 से ज्यादा विद्यार्थी हुए जागरूक

नवभारत न्यूज
ग्वालियर, 28 जुलाई। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर 15 से 30 जुलाई तक चल रहे 15 दिवसीय अभियान 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' के तहत आज ग्वालियर पुलिस ने जिले भर में जनजागरूकता कार्यक्रम किए। एसएसपी धर्मवीर सिंह के निर्देश और नोडल अधिकारी एएसपी जयराज कुबेर के मार्गदर्शन में – ज बरेठा चौकी: बचपन स्कूल, भारत मार्केट में विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक, भाषण और चित्रकला प्रतियोगिता के जरिए नशामुक्ति का संदेश दिया। एसआई रोहित सिंह भदौरिया ने बच्चों को सम्मानित किया। विश्वविद्यालय थाना: बाल भवन में चल रहे नृत्य महोत्सव में 1520 से अधिक लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताए गए और शपथ दिलाई गई। एसआई शैलजा सिंह ने नशा मुक्ति केंद्रों की जानकारी दी। भितरवार: एडीएम स्कूल में 550 विद्यार्थियों को निरीक्षक सुधीर सिंह कुशवाह ने जागरूक किया। मुरार: आर्यन स्कूल में प्रधान आरक्षक अर्चना सिंह ने बच्चों को नशे से दूर रहने की अपील की।

गुरु पूर्णिमा के पूर्व हिन्दू महासभा ने भजनों के साथ 51 महिलाओं को सम्मानित करने का लिया संकल्प

नवभारत न्यूज
ग्वालियर, 28 जुलाई। चामुंडा कोटेश्वर मंदिर हिन्दू महासभा समिति द्वारा आज गुरु पूर्णिमा के पूर्व दिवस पर अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ जयवीर भारद्वाज के मुख्य आतिथ्य, दीनानाथ कुशवाहा की अध्यक्षता एवं मुख्य वक्ता रामकिशन राठौर की उपस्थिति में भजनों के गायन के साथ 51 महिलाओं को सम्मानित करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र राठौर ने किया। भजनों की प्रस्तुति राजाबेटी, पुष्पा गौड, गोरादेवी कुशवाहा, गिरजा राठौर, विजय लक्ष्मी भारद्वाज आदि महिलाओं ने दी। 2 अगस्त को सायं 6 बजे 51 महिलाओं को भजन रसिका सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।

उमस से लोग बेहाल, अगले दो दिन में मेहरबान हो सकता मानसून

ग्वालियर। बीते गुरुवार को हुई झमाझम बारिश के बाद से ही मानसून निष्क्रिय बना हुआ है। जिससे दिन-रात का तापमान बढ़ने से शहरवासी उमस भरी भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग से राहत की खबर आई है। बंगाल की खाड़ी में विकसित हुई नई मौसम प्रणाली से ग्वालियर एवं चंबल संभाग में अगले 24 से 48 घंटे के दौरान बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। इससे बढ़ती गर्मी पर अंकुश लगेगा। जुलाई का महीना समाप्त होने को है लेकिन शहर में अभी तक सिर्फ लगभग 200 मिलीमीटर बारिश हुई है।

ड्रिंक एंड ड्राइव पर पुलिस का कार्यवाही, 5 कारें जब्त

नवभारत न्यूज
ग्वालियर, 28 जुलाई। 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के तहत यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। एसएसपी धर्मवीर सिंह के निर्देशन, एएसपी सुजावल जग्गा और डीएसपी यातायात अजीत सिंह चौहान के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस ने गोला का मंदिर, 7 नंबर चौराहा, कलेक्ट्रेट रोड और मंदर की माता चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। करीब 150 वाहनों को चेक कर चालकों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। जांच में शराब पीकर गाड़ी चलाते मिले 5 कार चालकों की कारें जब्त कर थाने में खड़ी कराई गईं। सभी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय द्वारा 50 हजार रुपये का समन शुल्क अधिरोपित किया गया। **पुलिस ने अपील की है** – 'नशे की हालत में कदापि वाहन न चलाएं, सुरक्षित यातायात में सहयोग करें।'

शहर में बढ़ रहा डेंगू का खतरा, नालियों में पनप रहे मच्छर

ग्वालियर। बारिश के मौसम में शहर में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल शहर में कई घनी आबादी वाले क्षेत्र है। इन इलाकों में गड्ढे में पानी भरा हुआ है और नालियों में गंदगी जमा हो रही है, जिससे पानी आगे नहीं निकल पा रहा है और नालियां ऊपर तक भरी हुई हैं, जिसके कारण उनमें मच्छर पनप रहे हैं। इन मच्छरों के काटने से बीमारियों का प्रकोप बढ़ने का खतरा है।

मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रक्रिया पर कार्यशाला आयोजित

नवभारत न्यूज
ग्वालियर 28 जुलाई। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, में आज राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रक्रिया, बाइनरी नैक प्रक्रिया एवं आईडीपी को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रकोष्ठ 'सैक' का शुभारंभ 22 जुलाई को भोपाल में उच्च शिक्षा मंत्री के मुख्य आतिथ्य, एसीएस की अध्यक्षता एवं आयुक्त के विशिष्ट आतिथ्य में किया गया था। इसी के नवीन दिशा-निर्देशों से महाविद्यालय के स्टाफ को अवगत कराने के उद्देश्य से यह कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन के साथ हुआ। प्राचार्य ने अपने उद्बोधन में कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय ने नैक में ए ग्रेड प्राप्त किया है और गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। इसके पश्चात महाविद्यालय के आईक्यूएसी एवं एनआईआरएफ समन्वयक प्रो. डॉ. अनीश पाण्डेय ने बाइनरी नैक, आईडीपी एवं राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता के उच्च मानकों की प्राप्ति और नैक की तैयारियों को गति देने के लिए सैक का गठन किया गया है। कार्यशाला का संचालन डॉ. गरिमा शर्मा ने किया। इस दौरान विभागाध्यक्षों, समन्वयकों, समस्त शैक्षणिक स्टाफ, क्रीड़ा अधिकारी एवं ग्रंथपाल ने सहभागिता की। प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान डॉ. अनीश पाण्डेय द्वारा किया गया। अंत में मीडिया प्रभारी डॉ. सुयश कुमार ने आभार व्यक्त किया।

एसडीआरएफ ने पढ़ाया 'सुरक्षा का पाठ', किया लाइव डेमो

इंस्पेक्टर पूजा ने बच्चों को सिखाए जिंदगी बचाने के गुर

नवभारत न्यूज
ग्वालियर 28 जुलाई। शिवपुरी लिंक रोड स्थित ग्वालियर ग्लोरी हायर सेकेंडरी स्कूल में एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) द्वारा एक विशेष स्कूल सेफ्टी एवं आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना था।

कार्यक्रम में मुख्य प्रशिक्षक के रूप में मौजूद एसडीआरएफ इंस्पेक्टर श्रीमती पूजा वर्मा ने छात्र-छात्राओं को बेहद सरल और रोचक तरीके से आपदा प्रबंधन के गुर सिखाए। उन्होंने बताया कि भूकंप, आगजनी और बाढ़ जैसी विकट परिस्थितियों में घबराने के बजाय सूझबूझ से काम लेना ही सबसे बड़ा बचाव है। इंस्पेक्टर वर्मा ने कहा, आपदा बताकर नहीं आती, लेकिन तैयारी हमें बचा सकती है। भूकंप के समय टेबल के नीचे छिपना, आग लगने पर मुंह पर गीला कपड़ा रखकर नीचे झुककर बाहर निकलना और बाढ़ के समय ऊंचे स्थानों पर जाना जैसे छोटे-छोटे कदम जिंदगी बचा सकते हैं। इस दौरान एसडीआरएफ टीम ने बच्चों के सामने फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी और इमरजेंसी में सुरक्षित निकासी का लाइव डेमो भी किया गया जिसे बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ देखा और सीखा।

विद्यालय के प्राचार्य ने एसडीआरएफ टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम न केवल बच्चों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाते हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और दूसरों की मदद करने का जज्बा भी पैदा करते हैं। कार्यक्रम में विद्यालय का समस्त स्टाफ और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे।

अनु.जाति बस्तियों में नियमित भ्रमण कर लोगों से करें संवाद : डॉ. जाटव

ग्वालियर, 28 जुलाई। मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव ने आज पुलिस कंट्रोल रूम में एससी/एसटी एक्ट से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में एसपी अजाक सतेंद्र सिंह तोमर ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से लंबित प्रकरणों की जानकारी दी। बैठक में एएसपी डॉ. शिवेश सिंह बघेल, डीएसपी विजय तोमर सहित सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। डॉ. जाटव ने ग्वालियर में एससी/एसटी एक्ट के अपराधों में पिछले तीन वर्षों में आई उल्लेखनीय कमी पर संतोष जताया और एसएसपी धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में ग्वालियर पुलिस की संवेदनशील कार्यवाही की सराहना की। उन्होंने लंबित प्रकरणों, चालानों और राहत राशि के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि –अनुसूचित जाति बस्तियों में नियमित भ्रमण कर लोगों से संवाद करें। बस्तियों में शराब व नशे के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई करें। एससी/एसटी छात्रावासों की सूची बनाकर सुरक्षा सुनिश्चित करें। थाने क्षेत्र के एनजीओ से समन्वय बनाकर जनजागरूकता बढ़ाएं।

मासूम से दुष्कर्म, आरोपी निगरानी में

गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के नारायण विहार कॉलोनी की घटना

नवभारत न्यूज
ग्वालियर 28 जुलाई। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के नारायण विहार कॉलोनी में सोमवार तड़के एक 5 साल की मासूम के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी नाबालिग को निगरानी में लिया है।

पीड़िता का परिवार मूल रूप से अटेर, भिंड का रहने वाला है और वर्तमान में नारायण विहार में किराए के कमरे में रहता है।

पुलिस के अनुसार, घटना के समय पीड़िता की मां बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी। इसी दौरान मकान मालिक का 14 वर्षीय नाबालिग बेटा कमरे में आ गया और वारदात को अंजाम दिया।

मां की नींद खुलने पर उसने आरोपी को देखा और शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दर्ज किया मामला घटना के बाद पीड़ित परिवार थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में थाना प्रभारी गोला का मंदिर धर्मेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच में आए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

रामनारायण मिश्रा को 'सर्वश्रेष्ठ' लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान

नवभारत न्यूज
ग्वालियर 28 जुलाई। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश की राज्य स्तरीय काउंसिल मीटिंग भोपाल में राज्य अध्यक्ष अशोक गोलाने की अध्यक्षता, चेयरमैन मनोज जौहरी की उपस्थिति तथा राज्य सचिव श्रीपाद कुंडले के संचालन में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश की 18 इकाइयों के चेयरमैन व सचिव शामिल हुए, जिसमें वर्ष 2025-26 के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में ग्वालियर इकाई के सचिव एवं राज्य उपाध्यक्ष रामनारायण मिश्रा को विगत 26 वर्षों के उत्कृष्ट योगदान, ग्वालियर इकाई के विकास और राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सेवाओं के लिए इस वर्ष का लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 'सर्वश्रेष्ठ' प्रदान किया गया। उन्हें शाल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह (नटराज प्रतिमा) और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वर्ष भर की उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए इंदौर यूनिट को प्रथम तथा उज्जैन यूनिट को द्वितीय स्थान की ट्रॉफी प्रदान की गई। बैठक में ग्वालियर यूनिट द्वारा आयोजित होने वाले 'ग्वालियर हेरिटेज' कार्यक्रम को भविष्य में भी जारी रखने का अनुमोदन किया गया। साथ ही खजुराहो, ओरछा और दतिया सर्किट की जिम्मेदारी भी ग्वालियर इकाई को सौंपी गई। काउंसिल मीटिंग में ग्वालियर यूनिट द्वारा आयोजित साइकिल रैली, रक्तदान शिविर, शैक्षणिक संस्थानों में सदस्यता अभियान और फैमिली ट्रैकिंग कार्यक्रमों की विशेष सराहना की गई। कार्यक्रम में ग्वालियर यूनिट के चेयरमैन शैलेंद्र माहौर ने राज्य शाखा के मेडिकल इक्विपमेंट बैंक के लिए एक व्हीलचेयर देने की घोषणा की।

उमस से बढ़ी अस्पतालों में भीड़

ग्वालियर। बारिश न होने से बढ़ी उमस ने लोगों की सेहत बिगाड़ दी है। जिला अस्पताल समेत निजी अस्पतालों में ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सबसे ज्यादा मरीज उल्टी, घबराहट, चक्कर आना और बेचैनी की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार इस मौसम में डिहाइड्रेशन की समस्या तेजी से बढ़ी है। शरीर में पानी की कमी से उल्टियां आना, चक्कर और घबराहट आम हो गई है। जिला अस्पताल के मेडिसिन एक्सपर्ट डॉ. मुकेश तोमर और डॉ. नरेश लखवानी के अनुसार, 'ये परेशानियां दिखने में छोटी हैं, लेकिन ध्यान न देने पर बड़ी समस्या खड़ी कर सकती हैं। एक-दो बार ऐसा हो तो घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन समस्या लगातार बनी रहे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

अपर आयुक्त ने सुनी समस्यायें, दिए निर्देश

नवभारत न्यूज
ग्वालियर 28 जुलाई। आमजनों की विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जनसुनवाई आयोजित की गई। जिसमें नगर निगम ग्वालियर में अपर आयुक्त श्री प्रदीप सिंह तोमर ने आमजनों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई के दौरान अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सिटीसेंटर स्थित निगम मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई में वार्ड 29 रामानुज नगर के निवासी गणों ने आवेदन देकर सचिन तेंदुलकर मार्ग में दबे सीवर चेम्बर के कारण हो रहे जल भराव के उचित समाधान के संबंध में, कैलाश नगर विकास समिति के सदस्यों ने कैलाश नगर में बनी पार्क से अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में, वार्ड 19 कुंज विहार फेस-2 के निवासी गणों ने चौक सीवर लाइन को खुलवाकर सफाई कराये जाने के संबंध में, वार्ड 1 बीस सूत्रीय नगर जनकताल बहोडापुर निवासी श्री जयराम पाल ने अवैध रूप से संचालित भैंस डेयरी पर कार्यवाही के संबंध में अपना आवेदन अपर आयुक्त को दिया। जिस पर अपर आयुक्त ने आवेदनों पर सुनवाई करते हुए कुछ समस्याओं का निराकरण त्वरित करते हुए बांकी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही जनसुनवाई में पेयजल, अतिक्रमण, सफाई, विद्युत, आवास, सीवर सफाई, नामांतरण आदि से संबंधित 48 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश अपर आयुक्त ने दिए।

आम सूचना

श्री ओमकार राजपूत पुत्र श्री ठाकुरदास राजपूत के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति दुकान एवं भवन, स्थित ग्राम बडैरा एवं बडौनकलां, प.ह.नं.03 एवं 01, रा.नि.मं. गोरा एवं बड़ौनी, तहसील एवं जिला दतिया (म.प्र.) है जो भूमि सर्वे क्र.18/1/1 ग्राम बडैरा एवं भूमि सर्वे क्र. 1701/2622/2 बडौनकलां का भाग है एवं जिसका कुल क्षेत्रफल 4600 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में सम्पत्ति ओमकार राजपूत, पश्चिम में-रास्ता, उत्तर में भूमि शिरोमन राजपूत एवं दक्षिण में-भवन जयपाल राजपूत है। ग्राम बडौनकलां की उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री पातीराम पुत्र श्री नन्हे, महादेवी एवं सुखदेवी पुत्रियां श्री नन्हे, श्रीमती पुनिया पत्नी स्व. श्री नन्हे, श्री मायाराम, श्री रामसेवक एवं श्री काशीराम पुत्रगण श्री गणेश, गिरजा एवं गुड्डी पुत्रियां श्री गणेश, श्रीमती भूरी पत्नी स्व. गणेश, श्री चंदन एवं श्री कल्ला पुत्रगण श्री छोटेलाल एवं पुष्पा पुत्री श्री छोटेलाल के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्रीमती पुष्पा उर्फ शोभा कुशवाह, श्री काशीराम, श्री मायाराम कुशवाह, श्रीमती गिरजा कुशवाह, श्रीमती गुड्डी उर्फ राजकुमारी कुशवाह, श्री चंदन कुशवाह, श्री कल्ला उर्फ ओमप्रकाश कुशवाह द्वारा सम्पत्ति रकवा 0.026 हैक्टेयर एरिया श्री ओमकार राजपूत पुत्र श्री ठाकुरदास राजपूत एवं श्री जयपाल राजपूत पुत्र श्री ठाकुरदास राजपूत को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी09592016ए 1373265 दिनांक 21.06.2016 से विक्रय की गई। ग्राम बडैरा की उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति श्री रघुवीर सिंह वर्मन पुत्र श्री उदयवीर सिंह वर्मन एवं श्री बृजेश शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.4519 दिनाक 21.01.2011 से विक्रय की गई। श्री रघुवीर सिंह वर्मन एवं श्री बृजेश शर्मा द्वारा ग्राम बडैरा की सम्पत्ति रकवा 0.15 हैक्टेयर एरिया श्री जयपाल राजपूत, श्री ओमकार राजपूत पुत्रगण श्री ठाकुरदास राजपूत एवं श्री राकेश कुमार मिश्रा पुत्र श्री हरदास मिश्रा को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी09592020ए1778683 दिनांक 24.11.2020 से विक्रय की गई। श्री ओमकार राजपूत द्वारा उक्त सम्पत्ति में से अपने भाग के संबंध में श्रीमती सुनीता राजपूत पत्नी श्री ओमकार राजपूत के हित में दान पत्र सम्पादित किये जाने हेतु ड्राफ्ट डीड तैयार की गई है एवं रजिस्टर्ड दान विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्रीमती सुनीता राजपूत द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वितीय संस्थान वास्तु हाउसिंग फायनेंस कॉर्पोरेशन लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट कार्या. भवन
क्र.52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास
सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं.98276-72710

आम सूचना

श्री नाथू सिंह यादव पुत्र श्री मोहर सिंह यादव के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र.24 एवं 25 का भाग, ब्लॉक-बी, स्थित श्री राम रेजीडेंसी, ग्राम खुरैरी, तहसील मुरार एवं जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो भूमि सर्वे क्र.66 ग्राम खुरैरी का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है-पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में भूमि दीगर, उत्तर में भूखण्ड क्र.24 का भाग एवं दक्षिण में भूखण्ड क्र.25 का भाग है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में सुमन पुत्री श्री मोहर सिंह, श्री संदीप पुत्र श्री परमानंद, इन्द्रादेवी पुत्री श्री मोहर सिंह, श्री उदय भान पुत्र श्री मोहर सिंह, मीरा पुत्री श्री मोहर सिंह, श्रीमती किशोरी देवी पत्नी श्री मोहर सिंह, सीतादेवी पुत्री श्री मोहर सिंह, श्री नाथू सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री समर सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्रीमती ममता पत्नी श्री गब्बर सिंह, श्रीमती सुदामा पत्नी श्री रामपाल, श्रीमती सुरभि पत्नी श्री सियाराम, श्रीमती लाली पत्नी श्री नरेन्द्र, श्रीमती नीलमणि पत्नी श्री राहुल, श्रीमती देवकी पत्नी श्री रामवीर, श्रीमती वन्दना पत्नी श्री मुकेश बैकुण्ठी, सुनील, चन्द्र लेखा, अरूण, ज्योति, हेमलता, अरूणा, बन्दना, फूलनदेवी, किरन, प्रीति, शिवा, अनीता एवं भावना के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री नाथू सिंह यादव पुत्र श्री मोहर सिंह यादव द्वारा उक्त सम्पत्ति को विक्रय किये जाने हेतु श्रीमती रंजू पाण्डेय पत्नी श्री विजय कुमार पाण्डेय के पक्ष में एक लिखतम विक्रय अनुबन्ध पत्र सम्पादित किया जा चुका है एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्रीमती रंजू पाण्डेय द्वारा उक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने हेतु मेरे पक्षकार वितीय संस्थान वास्तु हाउसिंग फायनेंस कॉर्पोरेशन लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट कार्या. भवन
क्र.52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास
सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं.98276-72710

नाम परिवर्तन सूचना

मै **शिवराम** (SHIVARAM) पुत्र श्री ओमप्रकाश सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री का नाम राधा पाल (RADHA PAL) है मेरे पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम गलती से राधिका बघेल (RADHIKA BAGHEL) लिख गया है जो कि गलत है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरी पुत्री का नाम राधा पाल (RADHA PAL) के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती है एवं जाएगी। जो उसके शासकीय अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है राधा पाल एवं राधिका बघेल दोनों मेरी ही पुत्री के नाम हैं अत: मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम **राधिका बघेल** के स्थान पर **राधा पाल** लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पूर्व नाम : राधिका बघेल
वर्तमान नाम : राधा पाल
सूचनाकर्ता नाम शिवराम पुत्र श्री ओमप्रकाश
पता- ग्राम राम नगर कॉलोनी बाले के बगल से ग्वालियर म.प्र.

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **रक्षा अहिरवार** (RAKSHA AHIRWAR) पुत्री श्री रामगोपाल जाटव सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व नाम **छाया जाटव** (CHHAYA JATAV) था जो मेरे आधार कार्ड में लिखा गया है जो कि गलत है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में **रक्षा अहिरवार** (RAKSHA AHIRWAR) के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूं एवं जाऊंगी। जो मेरे शासकीय अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है रक्षा अहिरवार एवं छाया जाटव दोनों मेरे ही नाम हैं अत: मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम **छाया जाटव** के स्थान पर **रक्षा अहिरवार** लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पूर्व नाम छाया जाटव
वर्तमान नाम : रक्षा अहिरवार पुत्री श्री रामगोपाल जाटव पता- ग्राम वण्डा पोस्ट गजौरा, शिवपुरी म.प्र.

नाम परिवर्तन सूचना

मैं योगेन्द्र सिंह (YOGENDRA SINGH) पुत्र श्री धासी राम सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम **लोकेन्द्र** (LOKENDRA) था जो मेरे आधार कार्ड में गलती से लिख गया है जो कि गलत है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में **योगेन्द्र सिंह** (YOGENDRA SINGH) के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूं एवं जाउंगा। जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है योगेन्द्र सिंह एवं लोकेन्द्र दोनों मेरे ही नाम है अत: मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम **लोकेन्द्र** के स्थान पर **योगेन्द्र** सिंह लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पूर्व नाम : लोकेन्द्र
वर्तमान नाम : योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री धासीराम
पता – ग्राम जाहर का पुरा, पोस्ट एण्डोरी तह. गोहद भिण्ड म.प्र.

Presiding Officer : हितेन्द्र द्विवेदी

आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु (MJC/0000022/2025)

पूरन यादव.................**वादी**
Vs
श्रीमती पूनम यादव.........**प्रतिवादी**
Process id-/2026
पेशी दिनांक:- 17/09/2026

प्रेषिती-
(1) श्रीमती पूनम यादव पत्नी स्व. मनीष यादव वर्तमान पति सुनील उर्फ लल्लू, पता-जनकपुरी पंचमुखी हनुमानजी के सामने गोल पहाड़िया लश्कर ग्वालियर म.प्र. एवं ग्राम झांकरी तहसील भितरवार जिला ग्वालियर म.प्र. यह कि प्रार्थी पूरन यादव पुत्र श्री छोटेलाल यादव ने आपके विरुद्ध आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-06 संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें, जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक है तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 25 July 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा

न्यायाधीश
(हितेन्द्र द्विवेदी)
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय
मुरैना (म.प्र.)

आम सूचना

श्रीमती चरन देवी पत्नी श्री शिव सिंह के स्वत्व व स्वामित्व की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित ग्राम डोमपुरा, तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र.) में स्थित है जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र.44 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.56/2 ग्राम डोमपुरा का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 600 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में भूखण्ड जालोनी वालों का, पश्चिम में भवन श्री नरेश, उत्तर में रास्ता 20 फुट चौड़ा एवं दक्षिण में-भूमि विक्रेता है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री रामस्वरूप, श्री अर्जुन सिंह, श्री शिव चरन, श्री हरी सिंह, श्री निहाल सिंह पुत्रगण श्री देवला एवं अन्य के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री अर्जुन सिंह द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती चरन देवी पत्नी श्री शिव सिंह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 27 आईजीआर 17912026ए100582236 दिनांक 18.05.2026 से विक्रय की गई थी। श्रीमती चरन देवी द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार बजाज हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार बजाज हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा बजाज हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड सिटी सेन्टर ग्वालियर में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार बजाज हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर मेरे पक्षकार के विरुद्ध शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट कार्या. भवन
क्र.52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास
सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं.98276-72710

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक आवासीय भू-खण्ड जिसका क्षेत्रफल 900 वर्गफीट है, जो सर्वे क्रमांक 614 राजस्व ग्राम मुडियाखेड़ा का भाग होकर वार्ड क्रमांक 01, टैगोर वार्ड (मुडियाखेड़ा) ग्लोबल पेट्रोलपम्प के पास, मुरैना, तहसील एवं जिला मुरैना, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न हैं :- पूर्व में अन्य का भू-खण्ड, पश्चिम में- आम रास्ता, उत्तर में अन्य का भू-खण्ड, दक्षिण में अन्य का भू-खण्ड स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदक श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा, निवासी मुडियाखेड़ा, बाई-पास, मुरैना, तहसील एवं जिला मुरैना, म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती सुमन कुशवाह पत्नी श्री राकेश कुशवाह निवासी ग्राम रामपुर गंज, पोस्ट जीगनी, मुरैना, तहसील एवं जिला मुरैना, म. प्र. से जरिये पंजीकृत विक्रय-पत्र ई-पंजीयन कमांक MP25792024A1592953 से दिनांक 16/05/2024 को क्रय कर मेरे पक्षकार मेरे पक्षकार पिरामल फाइनेन्स लिमिटेड ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, विक्रेता श्रीमती सुमन कुशवाह ने उक्त भू-खण्ड जरिये पंजीकृत विक्रय-पत्र ई पंजीयन क्रमांक MP25792022A1127649 से दिनांक 07/02/2022 को पूर्व विक्रेता श्रीमती सरिता राजौरिया पत्नी श्री सुनील राजौरिया से क्रय किया था जिसे पूर्व विक्रेता अन्य सह-स्वामी श्री सुनील राजौरिया के साथ संयुक्त स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी के रूप में धारण करती थी। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात विक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो।

दिनांक: 28/07/2026.

पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय -44, कैलाश विहार, सिटी सेंटर,
ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय: प्रात: 11.00 से सांय 05.00 तक